उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबंधन, अनुभाग-4
संख्या-40/2018/क0नि0-4-1030/11-2018-300(16)/18
लखनऊ, दिनांकः 31 अगस्त, 2018

शुद्धि-पत्र

वाणिज्य कर कार्यालय भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ में विद्युत पैनल बोर्ड, डी0बी0 वायरिंग एवं केबिल आदि का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने हेतु शासनादेश सं0-38/2018/क0नि0-4-995/11-2018-300(16)/18, दिनांक 29.08.2018 द्वारा रू0-328.27 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, के पृष्ठांकन के क्रमांक सं0-3 पर "मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश" अंकित हो गया है, के स्थान पर **"मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश"** पढ़ा जाए।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

अरविन्द कुमार
उप सचिव।

संख्या-40/2018/क0नि0-4-1030(i)/11-2018, तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहबाद।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक/ज्वाइंट कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
7- कार्य अधीक्षक, अस्थाई विद्युत निर्माण इकाई (विद्युत/यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in